

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

14

आदेश पृष्ठ

Misc.-1025-P.BR/16 भाग-अ
प्रकरण क्रमांक

तहसील: वाल्मीक जंग विरुद्ध श्री अशोक कुमार जैन
जिला: मोपा

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. तहसील का प्रकरण क्रमांक.

वाद का विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
31-3-2016	<p><u>श्री अशोक कुमार जैन</u> द्वारा <u>पंजीबद्ध</u> के मूल / अमीलीय आदेश दिनांक. <u>21.4.05</u> के विरुद्ध श्री <u>अशोक कुमार जैन</u> के अभिभावक द्वारा अमील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है।</p> <p>पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/ नहीं है/ मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध <u>अशोक कुमार जैन</u> है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील/ पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/ नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है।</p> <p><u>अशोक कुमार जैन</u> के मुख्यारम्भ श्री <u>अशोक कुमार जैन</u> उपस्थित। <u>उन्हें</u> पुना जाया। आवेदन पत्र आवेदनक कार्रवाही हेतु कलेक्टर मोपाव को भेजा जाये। इस प्रकार में कार्रवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है।</p>	<p><u>अशोक कुमार जैन</u></p> <p>31-316</p> <p><u>अशोक कुमार जैन</u></p> <p>31-3-16</p>

अशोक कुमार जैन

अध्यक्ष [पीछे देखें]

समस्त श्रीमान् म० प्र० राजस्व बोर्डे ज्वालियर
सर्किट - केम् - भाँपाल्
दिना - 1025-9831/16 विविध पिरीशन / 16

म० प्र० म० प्र०
2913

आबूलाल जैन (मृतक) द्वारा लिगिल रिफर
शोभा जैन व अन्य द्वारा आम मुख्तार
अशोक कुमार जैन, वृषभ ग्राम पिपलिया
वाच खा तहसील दुजुर जिला भाँपाल् - आवेदु
विरवट्ट

श्री नायाब तहसीलदार सर्किल - 2
त० दुजुर जिला भाँपाल् म० प्र० --- अनावेदु

म० प्र० भू० रा० संहिता की धारा 8 सुपरीनटेन्डेन्स
कृषिकार के अन्तर्गत पिरीशन

आवेदु निम्न निवेदन करता है :-

31/3/16
A. S. ...

(1) यह कि, आवेदु के भूमि पर अवेध कब्जा होने
के लिये धारा 250 म. प्र. भू. रा. संहिता के अन्तर्गत
ग्राम-भायलप सूखी सिवामिया ने मेडिट पर सुनवाई
करते हुये अनाधिकृत कब्जाधारी को कब्जा हटाने का
आदेश दिये थे। यह आदेश 21-4-2005 को
16 साल पूर्व दिये थे।

(2) यह कि, भण्डार की गंदी भाहेल में अनावेदु
कब्जा दिलाने में असफल रहे हैं जबकि SDMA
दुजुर द्वारा भी 2 बार दिनांक 17-5-2012
तथा 7-6-2012 को भी कब्जा हटाने के
आदेश दिये गये थे परन्तु सब बंडार होकर कब्जा
नहीं दिलाया गया और न ही अवेध कब्जाधारी

Amal ...